

(प्रपत्र - 3)

कार्य का नाम :- जनपद देहरादून में कालसी ब्लॉक के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालसी के भवन निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

(क्षेत्रफल - 0.950 हैक्टेयर)

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०.....

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कालसी के भवन निर्माण हेतु 0.950 है० वन भूमि का राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कालसी, प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	चकराता वन प्रभाग
(iv)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल है० में	0.950 है० वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.950 है० आरक्षित वन भूमि 0.000 है० वन पंचायत भूमि 0.000 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम उपरौली 0.950 है० कुल वन भूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल, एफ.आर.एल-2 मी० पर परिगणना और एफ.आर.एल-4 मी० भी संलग्न किये जाये	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 34 वृक्ष बाधित हैं जिनमें बांज वृक्षों की संख्या शून्य है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के प्रपत्र संख्या 19 से 20 तक संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बाबत भूवैज्ञानिक की दिनांक 15-3-2017 की भूगर्भीय आख्या संलग्न-प्रस्ताव के प्रपत्र संख्या 33 तक चस्पा है।
(ix)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि रीवर रेंज के कक्ष सं० 17 के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कौरीडोर आदि का भाग है (यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जायें)	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र संख्या 25 पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें	नहीं।
(xii)	यदि कोई सुरक्षित पुरातत्वीक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो तो दें।	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक/लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 25 पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बाबत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या 29 पर संलग्न है।
	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्या किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 4.2 सेतक पर संलग्न है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 4.2 पर संलग्न है साथ ही प्रस्तावित परियोजन स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु भी प्राक्कलन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 4.2 तक संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां :- जलवायू के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां कार्यान्वयन एजेंसी :- स्वयं वन विभाग समय :- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत :- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु० लाख का प्राक्कलन पृष्ठ संख्या सेतक संलग्न है एवं रिक्त स्थान उचित वृक्षारोपण हेतु रु० लाख का प्राक्कलन पृष्ठ संख्या सेतक संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	रु० 3.1460 लाख क्षतिपूरक वृक्षारोपण। रु० लाख परियोजना के आस-पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्कलन प्रतिहस्ताक्षरित और प्रमाणित है।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधिनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके पृष्ठ संख्या 6 पर संलग्न है। अद्योहस्ताक्षरित द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है जो कि पृष्ठ संख्या 5 पर संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	चकराता वन प्रभाग/जिला - देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	30.88 वर्ग किमी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्रफल	218.91 वर्ग किमी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 120 है। वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 518.59 है० है इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 112.44 है० है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि - (ख) वनोत्तर भूमि पर -	(क) 842.649 है० (ख) रिक्त

तक क्षतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति वन भूमि पर -	(क) 842.649 है० में प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है।
(ख) वनोत्तर भूमि पर -	(ख) रिक्त
ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा ने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष फारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार तथा अद्योहस्ताक्षरित द्वारा दिनांक 3-3-2016 को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

प्रस्तावित भवन का निर्माण कालानी की 17 वीं आई. टी. जमीन
संलग्न है निर्माण हेतु कालानी ब्लॉक के स्थानीय प्रमुखों के
द्वारा आई. टी. जमीन प्राप्ति, एवं शेजगा उपलब्ध कराते हेतु
उक्त भवन के निर्माण की तैयारी की जा रही है।

:- 3-3-2016

:- चन्द्रशेखर

हस्ताक्षर

नाम : (ज. देवका (नि. 2))

प्रभागीय वनाधिकारी
संरक्षक मोहर
चक्रवर्ती वन प्रमथ
प्रकृति देहरादून

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चक्रवर्ती वन प्रभाग
देहरादून